

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर जिला सागर म0प्र0

-: नीलामी विज्ञप्ति :-

क्रमांक 114 / प्र.माल / 2026

सागर दिनांक 04/05/26

सर्व साधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय सागर के मालखाना अनुभाग में रखी हुई 12 मोटर साईकिलें (जहां है जैसी स्थिति में है) नीलामी दिनांक 15/06/26 को प्रातः 11.00 खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है

नीलाम किये जाने वाले वाहन मोटर साईकिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वाहन क्रमांक	स्थान जहां पर वाहन रखा गया है।	वाहन की अफसेट प्राईज	मॉडल वर्ष	रिमांक अमानत राशि
1	2	3	4	5	6
1	एम.पी.15मी 2383 हीरो होन्डा डाउन रेड कलर बाईक	मालखाना अनुभाग कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर	6000 / -	-	270 / - रु.
2	बिना नंबर की हीरो होन्डा स्प्लैन्डरचेचिस क्रमांक 84N16C1109 6,	-	5000 / -	-	230 / -
3	एम.पी. 15 एच. 8744याम्हा आर.एक्स 100 ब्लैक	-	3000 / -	-	140
4	बिना नंबर की टी.व्ही.एस. अपाची रैड कलरचेचिस क्रमांक MD624HE55 62K6870,	-	10000 / -	-	450 / -
5	बिना नंबर की डिस्कवर बाईक काला नीलाइंजन क्रमांक DSGBMG00 052,	-	7000 / -	-	320
6	एम.पी. 20के.	-	4000	-	180 / -

	9944 बजाज चैम्पियन लाल कलर				
7	एम.पी. 15 एच. 9762 टी. व्ही.एस. मेक्स 100	—	3000 /—	—	140 /—
8	एम.पी.15 एम.ए. 8115 बजाज डिस्कवर बाईक	—	4000 /—	—	180 /—
9	बिना नंबर की टी.व्ही.एस. सैन्टरा रैड कलरचेचिस क्रमांक MD624AH18 42C34229,	—	3500 /—	—	160 /—
10	एम.पी.04 ए.जी. 5404 बजाज एम.80ग्रे कलर	—	1000 /—	—	50 /—
11	मोपेड के चेचिस और अन्य पार्टचेचिस क्रमांक D1801F6990 44,	—	800 /—	—	40 /—
12	बिना नंबर मोपेड जली हुई हालत में चेचिस क्रमांक U1009F3227 9	—	1000 /	—	50 /—
		कुल योग	48300 /—	कुल योग	2210 /—

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के नाम से देय राशि 2210 /—रुपये का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी संबंधी शेष नियम शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में मालखाना अनुभाग जिला न्यायालय सागर से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (WWW.mphighcourt.in) पर भी देखी जा सकती है।

उपरोक्त मोटरसाईकिलों की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्तें निम्नानुसार है

—: निविदा शर्त :-

- 1— उक्त मोटरसाईकिलों का न्यूनतम अपलेखन मूल्य सारणी अनुसार कुल राशि रुपये 48300/-रुपये (अढ़तालीस हजार तीन सौ रुपये) शासकीय बोली नियत है।
- 2— उपरोक्त अनुपयोगी मोटरसाईकिलों की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु सारणी अनुसार अमानत राशि के रूप में कुल राशि 2210/-रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के नाम से देय हो, नगद राशि जिला नाजिर नजारत अनुभाग सागर के पास जमा कर रशीद प्राप्त कर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
- 3— अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापिस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगाई गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।
- 4— सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा मोटरसाईकिलों की नीलामी समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को प्राप्त होगा।
- 5— नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
- 6— अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात अनुपयोगी मोटरसाईकिलें क्रेता को प्रदान की जावेगी।
- 7— अनुपयोगी उक्त मोटरसाईकिलों को अधिकतम बोली कर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के नाम से जमा कर उक्त मोटरसाईकिलों को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
- 8— संबंधित मोटरसाईकिले भौतिक निरीक्षण हेतु मालखाना अनुभाग जिला न्यायालय सागर में उपलब्ध है इस हेतु मालखाना नाजिर सागर से संपर्क करें।
- 9— बोलकर्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर मोटरसाईकिलों को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्त स्वीकार करली गई ऐसा माना जावेगा।
- 10— अनुपयोगी उक्त मोटरसाईकिलों को कय करने के पश्चात क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथा स्थिति में जिला न्यायालय सागर से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।
- 11— अनुपयोगी मोटरसाईकिले विक्रय के पश्चात मालखाना अनुभाग सागर द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त मोटरसाईकिलों की परिवहन विभाग संबंधी समस्त कार्यवाही का दायित्व क्रेता का रहेगा।

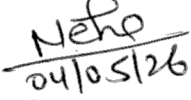
- 12- मोटरसाईकिल कमांक, चैचिस नंबर, इंजन नंबर निवेदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।
- 13- मोटरसाईकिले नीलामी की बोली स्वीकार होने के उपरांत मोटरसाईकिलों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
- 14- मोटरसाईकिलों की नीलामी दिनांक 15/06/26 से अधिकतम बोली आने तक की जावेगी।
- 15- मोटरसाईकिलें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के मालखाना अनुभाग में प्रत्येक कार्य दिवस में 03.00 से सायं 05.00 बजे तक देखा जा सकेगा।
- 16- उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण मालखाना अनुभाग हेतु गठित मोटरसाईकिलों की नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।


 वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 सागर म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक 118 / प्र.माल / 2026
 प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक 04/05/26

- 1- आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय विज्ञापन शाखा बाणगंगा रोड, भोपाल की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।
- 2- आयुक्त जनसंपर्क कार्यालय सागर की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग सागर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त सूचना समस्त सार्वजनिक स्थान कार्यालय कमिश्नर/ कलेक्टर/ जिला परिवहन विभाग सागर के सूचना पटल एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अन्य विभागाध्यक्ष के सूचना पटल पर चस्पा करायी जाकर रिपोर्ट प्रेषित करायी जाना सुनिश्चित करें।
- ✓ 4- जनियर सिस्टम एनॉलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग सागर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त मोटरसाईकिलों की नीलामी की विज्ञप्ति ऑनलाइन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।


 वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 सागर म.प्र.

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर जिला सागर म0प्र0

क्रमांक 119/प्र.माल/2026

सागर दिनांक 04/05/26

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय सागर के मालखाना अनुभाग में रखी 12 अनुपयोगी मोटरसाईकिलों की निष्प्रयोजित राशि 48300/-रुपये (जहां है जैसी स्थिति में है) दिनांक 15/06/26 समय 11.00 बजे से जिला न्यायालय सागर के मालखाना अनुभाग में खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के नाम से अनुपयोगी मोटरसाईकिलो की सारणी के कॉलम क्रमांक 06 अनुसार समस्त वाहनों की राशि 2210/-रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है अधिक जानकारी के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक बैवसाईट (WWW.mphighcourt.in) पर चैक कर सकते है।

Neha
04/05/26
वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर म.प्र.